पुरानी पेंशन योजना प्रकरण/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

समय सीमा पर व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर–1 चतुर्थतल सिग्नेचर बिल्डिंग गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।

संख्या–पॉच–700–(विविध–11)–2024(ओ0पी0एस0) दिनांकःअक्टूबर 15, 2025

सेवा मे,

1– समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

विषयः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिनका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28–03–2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 28–06–2024 द्वारा निर्धारित कट आफ तिथियॉ का विस्तरण।

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 01–08–2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्याः 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1) 2024 दिनांक 28–06–2024, शासनादेश संख्याः–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301/2024 दिनांक 11–07–2024, कार्यालय ज्ञाप/स्पष्टीकरण संख्या–24/2024/सा–3–303/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 22–08–2024 एवं शासनादेश संख्याः 20/2025/सा–3–277/दस–2025/301(1)2024 दिनांक 30–07–2025 का भलीभॉति अवलोकन कर अपने–अपने अधीनस्थ नियुक्त एवं सेवानिवृत्त हुए एवं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त **उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पद पर भर्ती हुए कार्मिकों** (अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों) जिनके द्वारा अभी तक विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, उनसे दिनांक 30–09–2025 तक विकल्प पत्र प्राप्त कर निम्नानुसार कार्यवाही कराने की अपेक्षा की गयी हैः–

कमांक	कार्यवाही	निर्धारित तिथि
1	विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	30–09–2025
2	जनपद/इकाई स्तर पर गठित कमेटी द्वारा अभिलेखों से भलीभॉति परीक्षणोपरान्त सुस्पष्ट संस्तुति/अभिमत सहित विकल्प पत्र परिक्षेत्रीय कार्यालय/इकाई मुख्यालय को प्रेषित करने की तिथि	08–10–2025
3	परिक्षेत्र स्तर पर गठित कमेटी द्वारा अभिलेखों से भलीभॉति परीक्षणोपरान्त सुस्पष्ट संस्तुति/अभिमत सहित विकल्प पत्र जोनल कार्यालय प्रेषित करने की तिथि	14–10–2025
4	जोन स्तर पर गठित कमेटी द्वारा अभिलेखों से भलीभॉति परीक्षणोपरान्त सुस्पष्ट संस्तुति/अभिमत सहित विकल्प पत्र इस मुख्यालय को प्रेषित करने की तिथि	20–10–2025
5	समस्त अजनपदीय शाखा के मुख्यालयों द्वारा गठित कमेटी द्वारा अभिलेखों से भलीभॉति परीक्षणोपरान्त सुस्पष्ट संस्तुति/अभिमत सहित विकल्प पत्र इस मुख्यालय को प्रेषित करने की तिथि	20–10–2025

विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30–09–2025 समाप्त हो चुकी है।

2— उपरोक्त सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश एवं समस्त पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश को सम्बोधित श्री कमलेश कुमार, उप सचिव, गृह(पुलिस) अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्याः 1098664/6—1099/541/2025 दिनांक 24—09—2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय प्रस्ताव बिना विभागाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किये एवं उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के माध्यम से न उपलब्ध कराते हुए सीधे शासन को उपलब्ध कराया जा रहा है, जो उचित नहीं है।

3— उत्तर प्रदेश शासन के उक्त पत्र द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं:—

(1) ऐसे अराजपत्रित पुलिस कर्मी, जिनको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाना है, का संशोधित शासनादेश दिनां 30—07—2025 के आलोक में परीक्षण कर प्रकरण में विभागाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करते हुए समस्त प्रस्ताव उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के माध्यम से उपलब्ध कराया जाये।

(3) प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त प्रस्ताव राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित शासनादेश दिनांक 30—07—2025 एवं शासन के पत्र दिनांक 16—09—2025 के आलोक में परीक्षण करते हुए शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

4— अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या—सा—379/दस—2005(3)—2003 दिनांक 28—03—2005 के पूर्व उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0 की सीधी भर्ती परीक्षा 2001 की दिनांक 31—08—2001 को प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पद पर चयनित कार्मिकों, जिनका विकल्प पत्र दिनांक 30—09—2025 तक प्राप्त हो गया हो, का भलीभॉति परीक्षणोपरान्त इस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्याः 1098664/6—1099/541/2025 दिनांक 24—09—2025 में की गयी अपेक्षानुसार समस्त विकल्प पत्र/प्रस्ताव इस मुख्यालय के माध्यम से ही प्रेषित किये जाय। किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी का विकल्प पत्र/प्रस्ताव सीधे शासन को प्रेषित नहीं किया जायेगा। विकल्प पत्र/प्रस्ताव के साथ ही संलग्न प्रारूप में इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में किसी भी उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक नागरिक पुलिस का विकल्प पत्र लम्बित नहीं है।

<u>संलग्नक—उपरोक्तानुसार।</u>

15/10/25

(अखिलेश कुमार चौरसिया)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1— समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2— समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त कार्यालयाध्यक्ष, अजनपदीय शाखा पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
4— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।

प्रमाणित किया जाता है कि शासनादेश संख्या:20/2025/सा–3–277/दस–2025/301(1)2024 दिनांक 30–07–2025, शासनादेश संख्या:14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)2024 दिनांक 28–06–2024, शासनादेश संख्या:–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301/2024 दिनांक 11–07–2024 एवं कार्यालय ज्ञाप/स्पष्टीकरण संख्या–24/2024/सा–3–303/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 22–08–2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में अधीनस्थ नियुक्त उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं निरीक्षक नागरिक पुलिस के प्राप्त कुल......... सभी विकल्प पत्र का कमेटी से परीक्षण कराकर प्रेषित किया जा चुका है।

2– जिन कार्मिकों के विकल्प पत्र पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन से प्रशासकीय अनुमति प्राप्त हो चुकी है, उनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देश के कम में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

3– जो उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं निरीक्षक नागरिक पुलिस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने के पात्र नहीं है, उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प पत्र का सकारण निस्तारण कर सम्बन्धित कार्मिक को समय से सूचित कराया जा चुका है।

4– राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में अधीनस्थ नियुक्त उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं निरीक्षक नागरिक पुलिस के प्राप्त कोई भी विकल्प पत्र जनपद, परिक्षेत्र, जोन, इकाई स्तर पर लम्बित नहीं है।

(नाम)
पदनाम
जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/
पुलिस आयुक्त एवं इकाई, मुख्यालय के विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

V-700(विविध-11)/2025
श्री नागवेन्द्र सिंह
(2936)
1/1098664/202

पुरानी पेंशन सम्बन्धित प्रकरण

संख्या-1098664/ 6-1099/541/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

IG Estt

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

2. समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
24/9/25

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 24 सितम्बर, 2025

विषयः-राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवकश, जिनका चयन ऐसे पद / रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांकः 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा निर्धारित कट ऑफ तिथियों के विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में कतिपय प्रस्ताव बिना विभागाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किये एवं उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के माध्यम से न उपलब्ध कराते हुये सीधे शासन को उपलब्ध कराये जा रहें हैं, जो उचित नहीं है।

2- अतः इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांकः 30 जुलाई, 2025 एवं शासन के पत्र दिनांक 16.09.2025 को संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे निम्नवत कहने का निदेश हुआ हैः-

SPCE

1. ऐसे अराजपत्रित पुलिस कर्मी, जिनको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाना है, का संशोधित शासनादेश दिनांकः 30 जुलाई, 2025 (छायाप्रति संलग्न), के आलोक में परीक्षण कर प्रकरण

SO-5, 10, एवं 18
श्री नागवेन्द्र सिंह

पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना,
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ 29.9.25

में विभागाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करते हुए समस्त प्रस्ताव उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के माध्यम से उपलब्ध कराया जायें।

2. प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त प्रस्ताव राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में संशोधित शासनादेश दिनांकः 30 जुलाई, 2025 (छायाप्रति संलग्न) एवं शासन के पत्र दिनांक 16.09.2025 के आलोक में परीक्षण करते हुये शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायें।

संलग्नकः यथोक्त ।

Digitally signed by
KAMLESH KUMAR
Date: 23-09-2025
18:19:43

भवदीय,

(कमलेश कुमार)

उप सचिव।

संख्या-1098664 /(1) व दिनाँक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1. अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0।
2. पुलिस अधीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-20/2025/सा-3-477/दस-2025/301(1)/2024

SCANNED
CRU-5 DATE 02/08/25
C.N. 354 2919

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2025

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिनका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा निर्धारित कट ऑफ तिथियों का विस्तरण।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं के ऐसे सभी कार्मिकों जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिनका विज्ञापन दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 28.06.2024 निर्गत किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए अन्यथा पात्र हैं और जो शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के निर्गत होने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28.06.2024 का लाभ दिये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

File No: 6-1099/666/2025-गृह (पुलिस) अनुभाग-5-Home Department (Computer No. 1970804)
Generated from eOffice by गोविन्द कुमार, ARO(GK)-HOME, सहायक समीक्षा अधिकारी, गृह विभाग on 24/09/2025 11:24 AM

के संबंध में कार्यालय-ज्ञाप/स्पष्टीकरण संख्या-24/2024/सा-3-303/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 22.08.2024 निर्गत किया गया है।

2- शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 तथा विकल्प के आधार पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने संबंधी आदेश निर्गत करने की तिथि 31.03.2025 एवं एन0पी0एस0 खाता बन्द करने की तिथि 30.06.2025 निर्धारित की गयी थी। शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय विभागों के कार्मिकों के द्वारा या तो विलम्ब से विकल्प प्रस्तुत किये गये या कार्मिकों द्वारा ससमय विकल्प प्रस्तुत करने के उपरान्त भी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित तिथि तक आदेश निर्गत नहीं किये जा सके।

3- अतः, विकल्प प्रस्तुत करने एवं विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने संबंधी आदेश निर्गत करने हेतु उक्त तिथियां व्यतीत हो जाने के उपरान्त उपरोक्त कट-ऑफ तिथि बढ़ाये जाने हेतु विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा निरन्तर मांग की जा रही है।

4- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प प्रस्तुत करने तथा समस्त अनुवर्ती कार्यवाहियों के लिए उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा निर्धारित तिथियों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रमांक	कार्यवाही	शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा पूर्व में निर्धारित तिथि	संशोधित तिथि
1	2	3	4
1.	कर्मचारियों द्वारा एन0पी0एस0 के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प प्रस्तुत करना	31.10.2024	30.09.2025
2.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करना	31.03.2025	30.11.2025
3.	एन0पी0एस0 खाता बन्द करना	30.06.2025	28.02.2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No. 6-1099/666/2025-गृह (पुलिस) अनुभाग-1-home department (Computer No. 1970804)
Generated from eOffice by गोविन्द कुमार, ARO(GK)-HOME, सहायक समीक्षा अधिकारी, गृह विभाग on 24/09/2025 11:24 AM

समय-सीमा का यह विस्तरण अंतिम होगा तथा इसके उपरान्त किसी भी दशा में अग्रतर विस्तरण नहीं किया जायेगा। यदि किसी कर्मचारी द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधित तिथियों तक अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित रहेगा।

5- शासनादेश दिनांक 28.06.2024 एवं शासनादेश दिनांक 11.07.2024 तथा कार्यालय-ज्ञाप/स्पष्टीकरण दिनांक 22.08.2024 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-सा-3-477(1)/दस-2025/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।

(3). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली।

(4). श्री नितिन जोशी, वाईस प्रेसीडेन्ट एवं नेशनल हेड, पेंशन रिलेशन्स (एन0पी0एस0), प्रोटियन ई-गवर्नमेंट टेक्नोलोजीज लिमिटेड, मुम्बई।

(5). ट्रस्टी बैंक (ऐक्सिस बैंक लि0, कार्पोरेट ऑफिस), मुम्बई।

(6). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(8). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No. 6-1099/666/2025-गृह (पुलिस) अनुभाग-1-home department (Computer No. 1970804)
Generated from eOffice by गोविन्द कुमार, ARO(GK)-HOME, सहायक समीक्षा अधिकारी, गृह विभाग on 24/09/2025 11:24 AM

संख्या-14/ 2024/ सा-3-243/ दस-2024/ 301(1)/ 2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/ रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No. 6-1099/666/2025-गृह (पुलिस) अनुभाग-1-home department (Computer No. 1970804)
Generated from eOffice by गोविन्द कुमार, ARO(GK)-HOME, सहायक समीक्षा अधिकारी, गृह विभाग on 24/09/2025 11:23 AM

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/ नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/ 05/ 2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/ संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/ शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/ राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/ नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/ अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/-

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-सा-3-243(1)/ दस-2024/ 301(1)/ 2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No. 6-1099/666/2025-गृह (पुलिस) अनुभाग-1-home department (Computer No. 1970804)
Generated from eOffice by गोविन्द कुमार, ARO(GK)-HOME, सहायक समीक्षा अधिकारी, गृह विभाग on 24/09/2025 11:23 AM